

दक्षिण मध्य रेलवे

संरक्षा.387/फ्लाई लीफ सं. /04/2023

फ्लाई लीफ सं. 04 / 2023

सर्व संबंधित ध्यान दें

माल शेड/साइडिंग/निजी माल टर्मिनलों में कंटेनर रैकों को रखने और बाहर निकालने के लिए संयुक्त कार्यविधि आदेश.

दिनांक 06.05.2022 के पत्र सं. टी. 411/जेपीओ/2022/1 के अंतर्गत जारी

कंटेनर रैकों को साइडिंग के अंदर रखते और बाहर निकालते समय निम्नलिखित संयुक्त कार्यविधि आदेश का पालन किया जाए.

I. प्लेसमेंट से पहले रैक को सुरक्षित करना:

1. साइडिंग में शंटिंग करने के बाद, शंटिंग कर्मचारी यह सुनिश्चित करेगा कि कंटेनर रैक दोनों सिरों पर संबंधित लाइन के उल्लंघन चिह्न/सिग्नल के भीतर खड़ा है.
2. दक्षिण मध्य रेलवे के सा धारण और सहायक नियमों के स.नि 5.23 के अंतर्गत वाहनों की सुरक्षा के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार रैक को सुरक्षित किया जाए.
3. शंटिंग कर्मचारी के प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन किया गया है और स्टेशन पर 'खड़ा भार रजिस्टर' में दिनांक और समय के साथ रजिस्टर में दिए गए सभी आवश्यक कॉलमों को विधिवत भरते हुए हस्ताक्षर करें.
4. विशेष शंटिंग कर्मचारी की अनुपस्थिति में, गाड़ी के प्रबंधक (गार्ड) रैक की शंटिंग और स्टेबलिंग का पर्यवेक्षण करें और खड़ा भार रजिस्टर में हस्ताक्षर करें.
5. यदि साइडिंग स्टेशन से दूर है, तो साइडिंग में माल पर्यवेक्षक/माल लिपिक के नियंत्रण में एक अलग खड़ा भार रजिस्टर रखा जाएगा. यदि कोई माल पर्यवेक्षक/माल लिपिक तैनात नहीं है, तो स्टेशन मास्टर को सूचना देते हुए साइडिंग अधिकारियों द्वारा नामित साइडिंग प्रभारी द्वारा रजिस्टर का रखरखाव किया जाए.
6. स्टेशन मास्टर/गुड्स सुपरवाइजर/गुड्स क्लर्क/नामित साइडिंग प्रभारी, शंटिंग प्रभारी/गाड़ी प्रबंधक (गार्ड) के हस्ताक्षर के सामने 'खड़ा भार रजिस्टर' के संबंधित कॉलम में तिथि और समय सहित प्रतिहस्ताक्षर करें.

II. कंटेनरों को उठाने और रखने के दौरान अपनाई जाने वाले पूर्वोपाय:

1. माल शेड/साइडिंग/निजी माल दुलाई टर्मिनलों पर निजी संचालक पर्यवेक्षक कंटेनरों के लिफ्टिंग-ऑन (बीएलसी वैगन पर कंटेनर को रखना) और लिफ्टिंग ऑफ (बीएलसी वैगन से कंटेनर को उठाना) की निगरानी करें और खराब व

लापरवाह हैंडलिंग से वैगनों को नुकसान होने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए. उन्हें नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए.

2. कंटेनरों को समान रूप से लोड किया जाए ताकि लोड सभी स्प्रिंगों पर समान रूप से वितरित हो. वहन क्षमता से अधिक लोडिंग को अनुमति नहीं दी जाए.
3. कंटेनरों के 'लिफ्टिंग-ऑन' से पहले, साइडिंग प्राधिकारियों को स्वचालित ट्विस्ट लॉक की स्थिति की जांच करनी होगी. किसी खराबी/कमी के मामले में, सुधारात्मक कार्रवाई के लिए रेलवे कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए.
4. ट्विस्ट लॉक ठीक से बंद हैं यह सुनिश्चित करते हुए कंटेनरों को ताले के समांतर में समान रूप से नीचे उतारा जाए और बिना किसी झटके के या अचानक ड्रॉप के रीच स्टेकर द्वारा रखा जाए.
5. रीच स्टेकर अच्छी कार्यचालन स्थिति में होने चाहिए.
6. क्रेन ऑपरेटर को अत्यंत सावधानी से काम करना चाहिए और कंटेनरों को उतारते समय अतिरिक्त भार पड़ने पर सचेत करने के लिए हॉर्न बजाना होगा. रोड मोबाइल क्रेन जिनमें अधिमानतः लोड सेल का प्रावधान है, अनलोडिंग के लिए उनका उपयोग किया जाए.
7. एटीएल की उचित लॉकिंग/अनलॉकिंग सुनिश्चित करने के लिए साइडिंग प्राधिकारियों द्वारा विशेष रूप से एक पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाए. वह क्रेन चालक को उचित मार्गदर्शन भी देगा. पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि कंटेनर के साथ वैगन को नहीं उठाया जा रहा है. यदि कोई वैगन उठा लिया जाता है, तो पर्यवेक्षक इस संबंध में क्रेन ऑपरेटर को सतर्क करेगा और सुनिश्चित करेगा कि वैगन के सभी पहिये रेल पर फिर ठीक से रखे गए हैं और आगे की कार्रवाई के लिए साइडिंग प्राधिकारियों और रेलवे प्राधिकारियों को इसकी सूचना देगा.
8. कंटेनरों को उठाने समय यह सुनिश्चित किया जाए कि धीरे-धीरे, समान रूप से और वर्टिकली लिफ्टिंग की जाए और ट्विस्ट लॉकों को अनलॉक किया गया है और कंटेनर को उठाने समय अंडरफ्रेम को नहीं उठाया जा रहा है.
9. क्रेन ऑपरेटर और साइट पर्यवेक्षक को जांच कर यह सुनिश्चित करना होगा कि वैगन बोगी पर ठीक से बैठा हुआ है, पहिए रेल पर नहीं चढ़ गए हैं और कंटेनरों को उतारते/चढ़ाते समय वैगन/बोगी/पहिया पटरी से नहीं उतर गए हैं.
10. अनलोडेड/लोडेड रेकों को रिलीज करने से पहले, कॉनकॉर के यार्ड पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वैगनों को बोगियों पर ठीक से बैठाया गया है, पहिए रेल पर नहीं चढ़ गए हैं, और कंटेनरों को उतारते/चढ़ाते समय वैगन/बोगी/पहिए पटरी से नहीं उतर गए हैं और लोड किए गए सभी कंटेनरों को वैगनों पर ठीक से रखा गया है और तालाबंद किया गया है.

11. यांत्रिक, परिचालन और वाणिज्य विभागों के मंडल अधिकारियों की समिति उपयुक्त मशीनरी की उपलब्धता और कार्यचालन स्थिति, सुविधाएं और साइडिंग प्राधिकारियों द्वारा उचित लिफ्ट-ऑन और लिफ्ट-ऑफ कार्य आदि सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतरालों पर संयुक्त रूप से कंटेनर साइडिंगों का निरीक्षण करेगी.

III. रोक को रिलीज करने से पहले अपनाई जाने वाले पूर्वोपाय :

1. माल-शेड/साइडिंग/निजी फ्रेट टर्मिनलों (पीएफटी) पर कंटेनर लिफ्ट-ऑन-लिफ्ट-ऑफ परिचालित टर्मिनलों पर कार्यरत ऑन ड्यूटी वाणिज्य कर्मचारी/ स्टेशन प्रबंधक मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार लोडिंग और अनलोडिंग विवरणों का उल्लेख करते हुए और निम्नलिखित के उल्लेख सहित कंटेनर ऑपरेटर से प्रमाणपत्र/ज्ञापन/पत्र प्राप्त करने के बाद रिलीज मेमो जारी करेंगे :
 - a. रोक की जांच की और पाया कि वैगनों के सभी पहिये रेल पर ठीक-ठाक हैं;
 - b. ट्विस्ट लॉकों के संबंध में कोई विसंगतियां नहीं हैं.
2. वाणिज्य कर्मचारी यह सुनिश्चित करेगा कि रिलीज मेमो और कंटेनर ऑपरेटर के प्रमाणपत्र/मेमो/पत्र की प्रतियां ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर को सौंपी जाएंगी.

IV. साइडिंग से रोक को हटाना:

1. प्रत्येक लोडिंग/अनलोडिंग के बाद सीसी पैटर्न पर परीक्षित सभी रोकों का वसेइंजी/कइंजी/स. व माडि (स. व माडि. परीक्षण पाइंट पर) द्वारा सेफ टू रन परीक्षण या गाड़ी प्रबंधक (गार्ड) और लोको पायलट (स. व माडि परीक्षण पाइंटों के अलावा) द्वारा जीएलपी जांच किया जाए. सेफ टू रन परीक्षण के बाद मूल बीपीसी पर पृष्ठांकन की जाए. ऐसे सेफ टू रन परीक्षण में ब्रेक पावर, लटकती पुर्जे और अन्य खराबियां, जिन्हें कंटेनरों से लदे वैगन पर देखा जा सकता है, की जांच की जाए और उचित मरम्मत की जाए.
2. स. व माडि. परीक्षण पाइंट पर 24 घंटे से अधिक समय के लिए रोके गए कंटेनर रोकों का सेफ टू रन परीक्षण किया जाए और बीपीसी पर टीएक्सआर द्वारा पुष्टि की जाए कि बीपीसी की शेष वैधता अवधि में रोक परिचलान के लिए सुरक्षित है. गैर स.व माडि. परीक्षण पाइंट पर, जीएलपी जांच की जाए.
3. स्टेशन की रनिंग लाइन पर पीछे/वापस लाते समय रोक को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जाए. गाड़ी प्रबंधक (गार्ड)/शंटिंग कर्मचारी ब्रेक वैन में जाएंगे और देखेंगे कि गाड़ी सुरक्षित रूप से चल रही है. शंटिंग कर्मचारियों में से एक कर्मचारी लाइन के अंत में रहेगा जहां से रोक को लाया जा रहा है और कोई असामान्य स्थिति हो उस पर नजर रखेगा और लोको पायलट को सतर्क करने के लिए तैयार रहेगा, जो गाड़ी प्रबंधक (गार्ड)/शंटिंग कर्मचारी की चेतावनी पर तुरंत गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहेगा.

V. सामान्य:

1. साइडिंग प्राधिकारी रेकों की जांच करते समय शंटिंग कर्मचारी/गाड़ी प्रबंधक(गार्ड)/लोको पायलट की आवाजाही के लिए लाइन (लाइनों) के दोनों ओर रास्ता और प्रकाश की व्यवस्था प्रदान करेंगे, जहां से रेक को क्लियर किया जाता है.
2. सर्विंग स्टेशनों के स्टेशन अधीक्षक, सेक्शन टीआई और वसेइंजी/सवमडि नियमित रूप से साइडिंगों का निरीक्षण करेंगे और साइडिंग कर्मचारी, शंटिंग कर्मचारी और गाड़ी प्रबंधक (गार्ड), जो ऊपर बताए गए गतिविधियों में शामिल हैं, को परामर्श देंगे. परामर्श दिए गए कर्मचारियों से पावती प्राप्त की जाए.
3. यह संयुक्त कार्यविधि आदेश इस संबंध में जारी करार /परिपत्र, नियमावली आदि का अधिक्रमण नहीं करता है.

हस्ता-/-
सीएमई/योजना

हस्ता-/-
सीईई/आयोजना व परिचालन

हस्ता-/-
सीसीएम/एफएस

हस्ता-/-
सीटीएम/जी व पीपी

प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी

संरक्षा संगठन

दक्षिण मध्य रेलवे